न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: स्वाति (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 137 / 2023

सरकार बनाम संदीप दलाल पुत्र रामधन, जाति–जाट, निवासी– बहादुरगढ़, जिला–झज्जर (हरियाणा) हाल श्री श्याम बालाजी रेस्टोरेंट कासनी (एस.एच.8)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 27.07.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल संदीप दलाल पुत्र रामधन, जाति–जाट, निवासी– बहादुरगढ़, जिला–झज्जर (हरियाणा) हाल श्री श्याम बालाजी रेस्टोरेंट, कासनी (एस.एच.–8) द्वारा रोही मौजा कासनी में सार्वजनिक निर्माण विभाग की राजकीय सड़क भूमि ख.नं. 250 के कुल रकबा 8.62 है0 किस्म गै.मु. सड़क में से रकबा 0.05 है0 भूमि पर आर.सी.सी. खुरा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। इससे पूर्व परियोजना निदेशक आर.एस.आर.डी.सी.लि. यूनिट झुंझुनूं ने भी उक्त सड़क सीमा में किये गये अतिक्रमण को हटवाने हेतु पत्र लिखकर निवेदन किया गया। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हारिज अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया, जिसमें उसने अपना अतिक्रमण अस्वीकार किया है तथा कुछ दिन की मोहलत मांगी। गैर सायल को साक्ष्य पेश करने हेतु समय दिया गया। लेकिन पर्याप्त समय दिये जाने उपरान्त भी गैर सायल द्वारा अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया। अतः गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है। अतः परियोजना निदेशक आर.एस.आर.डी.सी. लि. यूनिट झुंझनूं के पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर.एस. आर.डी.सी.लि. यूनिट झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि सड़क सीमा पर किये गये अतिक्रमण को अविलम्ब हटाया जाना सुनिश्चित करें। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 15 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी /गिरदावर हल्का को तावान वसूली हेतु एवं मौका बेदखली की कार्यवाही में आर. सी.आर.डी.सी.लि. यूनिट, झुंझुनूं के सहयोग हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति आर.एस.आर.डी.सी.लि. यूनिट झुंझुनूं को भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं.......19....... पर
वर्ष 23-24.... में क्रमांक 15 / कायम किया
राजस्व लेखाकार